# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 9/017 तारीख रजू 27.09.2017

अब्दुल रजाक पुत्र कजोडी जाति मुसलमान निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली

:–प्रार्थी

बनाम

1 भीम पुत्र जमादार जाति जाट निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली

2 तहसीलदार हिण्डौनसिंटी तहसील हिण्डौनसिंटी जिला करौली – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत केन्सिलेशन अलोटमेंट तारीक 05.12.1990 अन्तर्गत

अलोटमेंट रूल्स 14(4)

निर्णय दिनांक 14.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय में पेश कर अवगत कराया गया है कि प्रार्थी ग्राम जटनंगला का रहने बाला है तथा भूतपूर्व सैनिक है ग्राम जटनंगला में सिवायचक व चारागाह आराजीयात में प्रार्थी का हित निहित है आराजी खसरा नं0 1100 रकवा 5.86 है0 गैर मु. बंजड ग्राम जटनंगला में सरकारी भूमि स्थित थी जिसमें आवंटन कमेटी ने अप्रार्थी नं. 1 के निकटतम कुटुम्बी रामखिलाडी सरपंच थे अलोटमेण्ट कमेटी से साज कर आराजी खसरा नं. 1100 मे से 80 एयर भूमि अप्रार्थी के नाम कानून की अवहेलना करते हुए आवंटन करा ली गई है जबकि आवंटी के पिता की खातेदारी करीवन 20 वीघा जमीन थी इस आराजी का नवीन खसरा नं. 1504/1100 रकवा 0.80 है0 है। अप्रार्थी के नाम गेर खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है यह आवंटन दिनांक 05.12.1990 को होने पर इस आवंटन को निरस्त करने हेतु एक प्रार्थनापत्र प्रार्थी के भाई सरफू द्वारा न्यायालय मे पेश किया गया था जिसे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली कैम्प हिण्डौन सिंटी में मु. नं. 314/96 उनवानी सरफू बनाम भीम को दिनांक 24.02.1999 खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील प्रार्थी के भाई ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहा पर पेश की गई। जिसमे न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2001 को अपील संख्या 163/99 में ये आदेश दिये गये है कि:–

1 क्या आवंटी आवंटन के समया भूमिहीन था।

2 क्या आवंटी सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच का रिस्ता है तो क्या रिस्ता है।

दिनांक 03.11.2011 को हो गई। प्रार्थी ने अपने भाई के कागजात तलाश किये गये तव उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त हुई है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 05.12.1990 को अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमे अप्रार्थी नं0 1 जरिये वकालान्तन उपस्थित आया नं. 2 वावजूद सूचना के उपस्थित नही है।

उभयपक्षकारान अभिभासकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थी ने अपने बहस कथन में प्रार्थनापत्र को दोहराते हुऐ कहा कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की है अप्रार्थी नं0 1 सरपंच का निकटतम रिस्तेदार है। पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी द्वारा रिमाण्ड की गई है। सरफू फौत हो गया है। प्रार्थनापत्र में कायम मुकाम नही लिये है। तीनो बिन्दूओ की जॉच नही की गई है ना ही सुनवाई का अवसर दिया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आवंटन खारिज फरमाई जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 1 नें अपने कथन में 05.12.1990 को आवंटन हुआ है जिसकी अपील सरफू पुत्र कजोडी ने इसी न्यायालय में पेश की गई थी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02. 1999 को 14(4) का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया इस निर्णय के विरूद्व प्रार्थी के भाई सरफू ने राजस्व अपील अधिकारी के यहा पर अपील दायर की गई थी जिसे न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2001 में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दू निर्धारित किये गये थे ओर इसकी निगरानी हमारे द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की गई थी जिसे मण्डल द्वारा निगरानी खारिज करते हुए राजस्व अपील प्राधिकरी सवाईमाधोपुर का निर्णय यथावत रखा गया। पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.02.2001 से आपके न्यायालय में प्राप्त हुई थी जिसे न्यायालय द्वारा विधिवत सुना जाकर दिनांक 13.07.2015 को आवंटन वहाल रखा गया है। प्रार्थी का भाई सरफू पूर्व में ही फोत हो गया है। शिकायत पत्र पर सी. पी. सी. के आदेश 22 के नियम लागू नही होते है। जिसमे निर्णय की सत्यप्रतिलिपि पेश है। सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत कोई भी न्यायालय अपने निर्णय के विरूद्व पुनः सुनने का अधिकार नही रखता है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी का इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रस्तुत निर्णय दिनांक 13.07.2015 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस प्रकरण में प्रार्थी के भाई सरफू द्वारा पूर्व में 14(4) का प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में 04.09.1999 को पेश किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.1999 को प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया इसके बाद इसकी प्रथम निगरानी अप्रार्थी के भाई ने राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2001 निगरानी अपीलान्ट द्वारा द्वितीय निगरानी निबन्धक राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में पेश की गई जिसमें माननीय निबन्धक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.07.2003 द्वारा निगरानी अप्रार्थीगण की खारिज करते हुये राजस्व अपील

मे न्यायिक सिद्वान्त पूर्वन्याय( रेसजुडिकेटा) लागू होते है। हम वकील अप्रार्थी के कथनो से सहमत है हस्तगत प्रकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थना पत्र बाबत केन्सिलेशन अलोटमेंट तारीक 05.12.1990 अन्तर्गत अलोटमेंट रूल्स 14(4) का खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली